SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विधिक संरक्षण: भारतीय परिप्रेक्ष्य

रीना शर्मा
सहायक प्राध्यापक
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नियमित चुनावों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि राजनीतिक संस्थाओं में समाज के विभिन्न वर्गों की सार्थक एवं समान भागीदारी पर भी निर्भर करती है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या लगभग आधी होने के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी भागीदारी ऐतिहासिक रूप से पुरुषों की तुलना में कम रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्रदान किए, किंतु सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता, आर्थिक निर्भरता, शिक्षा की असमानता, राजनीतिक दलों में सीमित अवसर तथा चुनावी राजनीति की जटिलताओं के कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सका।

भारतीय संविधान में समानता, भेदभाव-निषेध और सार्वजनिक जीवन में अवसर की समानता के साथ महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी को व्यापक आधार प्रदान किया। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण का संवैधानिक आधार बनाया। इसके परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में निर्वाचित होकर निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बनीं।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आया, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया। यह व्यवस्था संबंधित जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़ी है। अतः इसके प्रभावी कार्यान्वयन का वास्तविक स्वरूप भविष्य की परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय

संदर्भ में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधानों, स्थानीय स्वशासन में आरक्षण, संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति, राजनीतिक दलों की भूमिका तथा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में विधि की भूमिका का विश्लेषण करता है।

बीज शब्द

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तीकरण, संविधान, राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण, पंचायती राज, संसद, विधानसभाएँ, विधिक संरक्षण, लैंगिक समानता, लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र का मूल आधार जनता की राजनीतिक सहभागिता है। लोकतांत्रिक शासन तभी अधिक प्रतिनिधिमूलक माना जा सकता है जब समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिक निर्णय-निर्माण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इस दृष्टि से विशेष महत्व रखती है क्योंकि महिलाएँ समाज की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की संख्या लंबे समय तक सीमित रही। इसका कारण केवल कानूनी बाधाएँ नहीं थीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाएँ भी थीं।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण ने इस स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी ने राजनीतिक नेतृत्व के लिए व्यापक आधार तैयार किया। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने वाली अनेक महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास है। इसने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। यह प्रावधान जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रकार महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल

प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध लोकतांत्रिक समानता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सशक्तीकरण और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की वास्तविक भूमिका से है।

2. शोध समस्या

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने के बावजूद संसद, विधानसभाओं और राजनीतिक दलों में उनका प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत कम रहा है। इस संदर्भ में प्रमुख शोध समस्या है। "भारतीय संविधान एवं विधिक व्यवस्था ने महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को किस सीमा तक बढ़ावा दिया है तथा कानूनी आरक्षण और अन्य विधिक उपाय महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तीकरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?"

3. शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. महिला राजनीतिक अधिकारों के संवैधानिक आधार का विश्लेषण करना।
3. स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण की भूमिका का अध्ययन करना।
4. संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना।
5. संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 के महत्व का अध्ययन करना।
6. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन करना।
7. में विधिक संरक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
8. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव देना।

4. शोध प्रश्न

1. भारतीय संविधान महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है?

2. स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण का राजनीतिक सशक्तीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है?
3. संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम क्यों रहा है?
4. संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
5. राजनीतिक दल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

5. शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं संवैधानिक-विधिक शोध पद्धति पर आधारित है। यह राजनीति शास्त्र और विधि का अंतर्विषयी अध्ययन है। इसमें महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के राजनीतिक, सामाजिक और विधिक पक्षों का विश्लेषण किया गया है।

6. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी से है। इसमें केवल चुनाव लड़ना और निर्वाचित होना ही शामिल नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों में नेतृत्व, नीति निर्माण, विधायी प्रक्रिया और निर्णय-निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दो प्रमुख आयाम हैं–

6.1 मात्रात्मक प्रतिनिधित्व - इसका संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं की संख्या से है।

6.2 गुणात्मक प्रतिनिधित्व - इसका संबंध इस बात से है कि निर्वाचित महिलाएँ नीति निर्माण और निर्णय-निर्माण में कितनी प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

इसलिए केवल सीटों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और संस्थागत समर्थन भी आवश्यक है।

7. भारत में महिला राजनीतिक भागीदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया। अनेक महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर राजनीतिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया।

स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए। महिलाओं को मताधिकार, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बावजूद स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित रहा। इसका कारण राजनीतिक संस्थाओं की संरचना के साथ-साथ सामाजिक परिस्थितियाँ भी थीं।

8. संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लैंगिक समानता के लिए व्यापक आधार प्रदान करता है।

8.1 अनुच्छेद 14 - अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।

8.2 अनुच्छेद 15 - अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। साथ ही राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

8.3 अनुच्छेद 16 - सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

8.4 अनुच्छेद 39 - राज्य को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आजीविका एवं समान वेतन जैसे सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है।

8.5 अनुच्छेद 51A(e) - नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने की भावना को शामिल किया गया है।

8.6 अनुच्छेद 243D और 243T - पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है।

9. महिला प्रतिनिधित्व और 106वाँ संविधान संशोधन

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में 2023 का संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम महत्वपूर्ण है। इसे सामान्यतः महिला आरक्षण कानून के रूप में जाना जाता है। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान का महत्व इसलिए है क्योंकि

1. पहली बार संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई।
2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का संवैधानिक आधार मजबूत हुआ।
3. राजनीतिक दलों और चुनावी राजनीति में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी।
4. विधायी संस्थाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित होने की संभावना है।

हालाँकि इसका क्रियान्वयन जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा है। इसलिए कानून का वास्तविक चुनावी प्रभाव उसके कार्यान्वयन की संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

10. संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता के बाद धीरे-धीरे बढ़ी है, लेकिन लंबे समय तक यह कुल सदस्य संख्या की तुलना में सीमित रही। लोकसभा और राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता अभी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कई राज्यों में अपेक्षाकृत कम रहा है। इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा कम टिकट देना, चुनावी संसाधनों तक सीमित पहुँच और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ हो सकती हैं। राज्य स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने से स्थानीय सामाजिक मुद्दों को विधायी मंच प्राप्त हो सकता है।

11. राजनीतिक दलों की भूमिका

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संवैधानिक आरक्षण से निर्धारित नहीं होता। राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन, नेतृत्व विकास और संगठनात्मक पदों में महिलाओं को अवसर देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों को–

1. अधिक महिलाओं को चुनावी टिकट देना चाहिए।
2. पार्टी संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
3. महिला नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए।
4. राजनीतिक वित्त और चुनावी संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ानी चाहिए।
5. महिलाओं के लिए सुरक्षित राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए।

यदि राजनीतिक दल महिलाओं को केवल आरक्षित सीटों तक सीमित रखते हैं, तो व्यापक राजनीतिक सशक्तीकरण का उद्देश्य अधूरा रह सकता है।

12. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सामाजिक बाधाएँ

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक हैं

1 पितृसत्तात्मक मानसिकता - कई सामाजिक परिस्थितियों में राजनीति को अभी भी पुरुष-प्रधान क्षेत्र माना जाता है।

2 घरेलू जिम्मेदारियाँ - महिलाओं पर घरेलू एवं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का असमान भार राजनीतिक गतिविधियों में समय देने को प्रभावित कर सकता है।

3 शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता - शिक्षा और राजनीतिक जानकारी की कमी राजनीतिक भागीदारी के अवसरों को सीमित कर सकती है।

4 सामाजिक सुरक्षा - राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

5 सामाजिक प्रतिष्ठा एवं रूढ़ियाँ - महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को लेकर मौजूद रूढ़िवादी धारणाएँ उनके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश को प्रभावित कर सकती हैं।

13. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विधिक संरक्षण

महिला राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए विधिक संरक्षण कई स्तरों पर आवश्यक है।

1 समानता का संरक्षण - संवैधानिक समानता महिलाओं को राजनीतिक जीवन में समान नागरिक के रूप में स्थापित करती है।

2 भेदभाव से सुरक्षा - लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षा राजनीतिक सहभागिता को मजबूत करती है।

3 हिंसा एवं उत्पीड़न से सुरक्षा - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, धमकी और उत्पीड़न को रोकने वाली कानून व्यवस्था राजनीतिक सहभागिता के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है।

4 चुनावी अधिकार - निर्वाचन कानून महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने के समान अधिकार प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक समानता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान करके लोकतांत्रिक समानता की मजबूत नींव रखी। इसके बावजूद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के कारण महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लंबे समय तक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया। स्थानीय स्वशासन में आरक्षण ने इस स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी को संवैधानिक आधार मिला। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीतिक अनुभव और नेतृत्व का अवसर मिला। स्थानीय शासन में यह प्रयोग महिला राजनीतिक सशक्तीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था महिलाओं की

राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन का संबंध जनगणना और उसके बाद की परिसीमन प्रक्रिया से है, इसलिए इसके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन कार्यान्वयन के बाद अधिक स्पष्ट होगा। फिर भी केवल आरक्षण को महिला राजनीतिक सशक्तीकरण का अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। यदि महिलाओं को राजनीतिक दलों में नेतृत्व के अवसर, चुनावी संसाधन, प्रशिक्षण, सुरक्षा और स्वतंत्र निर्णय लेने का वातावरण नहीं मिलता, तो मात्रात्मक प्रतिनिधित्व गुणात्मक राजनीतिक सशक्तीकरण में परिवर्तित नहीं हो पाएगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं का पर्याप्त और प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता का प्रश्न है। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाएँ निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में समान भागीदारी करती हैं, वह व्यवस्था अधिक प्रतिनिधिमूलक, समावेशी और सामाजिक न्यायोन्मुख बनने की क्षमता रखती है।

संदर्भ सूची

संवैधानिक एवं विधिक स्रोत

1. Government of India. The Constitution of India. Ministry of Law and Justice, Government of India.
2. Government of India. The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992.
3. Government of India. The Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992.
4. Government of India. The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023.
5. Government of India. The Representation of the People Act, 1950.
6. Government of India. The Representation of the People Act, 1951.

पुस्तकें

1. Kashyap, Subhash C. Our Constitution. National Book Trust, India.
2. Laxmikanth, M. Indian Polity. McGraw Hill.
3. Heywood, Andrew. Politics. Palgrave Macmillan.
4. Heywood, Andrew. Political Theory: An Introduction. Palgrave Macmillan.
5. Rai, Shirin M. Gender and the Political Economy of Development. Polity Press.

रिपोर्ट एवं संस्थागत स्रोत

1. Election Commission of India. Statistical Reports on General Elections. New Delhi.
2. Election Commission of India. Electoral Statistics. New Delhi.
3. Inter-Parliamentary Union. Women in Parliament. Geneva.
4. United Nations Women. Women's Political Participation and Leadership. United Nations.